कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नीति

(भारत सरकार का उपक्रम)

सूचकांक

1. संकल्पना

1.1 शीर्षक एवं क्षेत्र

1.2 सीएसआर विजन तालिका एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त

2. कार्यनीति

3. संसाधन

3.1 वित्त पोषण एवं आवंटन

4. कार्यान्वयन

4.1 - 4.5 कार्यान्वयन के लिए सामान्य मद

4.6 अनुमोदन के लिए शक्तियां

5. निष्पादन एजेंसी

5.1 निष्पादन एजेंसी / साझेदार

5.2 निष्पादन एजेंसी की पहचान के लिए मानदंड

6. महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान

7. निगरानी एवं प्रतिपुष्टि

8. सामान्य

अध्याय 1

संकल्पना

1.1 शीर्षक एवं क्षेत्र :

1.1.1 इस नीति को 'एनएफएल कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति' या 'एनएफएल सीएसआर नीति' कहा जाएगा | भारत के कारपोरेट नागारिक की तरह कम्पनी की विचारधारा एवं जिम्मेदारी को व्यक्त करती है तथा कम्पनी के प्रचालन क्षेत्रों के आस-पास एवं अन्य क्षेत्रों में, समुदाय के कल्याण एवं सत्त विकास हेतु सामाजिक रुप से उपयोगी कार्यक्रमों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश एवं तंत्र की रुपरेखा तैयार करती है |

1.1.2 यह नीति, भारत के विभिन्न स्थानों में कंपनी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों विशेषत: वंचित और शोषित वर्गों के लाभ हेतु सभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों और गतिविधियों पर लागू होगी |

1.1.3 इस नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (नियम) का अनुपालन किया गया है |

1.2 सीएसआर विजन तालिका एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त :

1.2.1 कंपनी अपने विजन के साथ सामंजस्य बनाते हुए, एन एफ एल अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, समाज और समुदाय में अपने उत्पादों, सेवाओं, आचरण एवं पहल के माध्यम से जीवन स्तर को बढाने हेतु, प्रयास जारी रखेगा ताकि समाज और समुदाय के लिए सतत् विकास को प्रोत्साहित कर सके और पारिस्थितिकी के संबंध में, एक सामाजिक जिम्मेदार कारपोरेट के रुप में अपनी भूमिका निभा सके |

1.2.2 इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए कंपनी :

क) संसाधनों और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके दक्षता में वृद्धि करेगी ।

ख) अपनी मिट्टी परीक्षण सुविधाओं एवं अन्य सलाहकार सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विकसित खेती के तरीकों को बढावा देगी ।

ग) सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को सुचारु रुप से चलाया जाए जिसमें मुख्यत: अविकसित गांवों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है ।

घ) उन समुदायों को आत्मनिर्भर बनाकर ,जीवन शैली में सुधार लाने की दिशा में काम करेगी, जिन क्षेत्रों के भीतर इन्हें आप्रेट किया जाता है ।

ड) संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्र में और भारत में अन्य स्थानों में रहने वाले समुदाय के लिए बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसायिक क्षेत्र (Domain) और अन्य सामाजिक कल्याण की पहल के माध्यम से सामाजिक पूंजी को स्थायी स्वरुप प्रदान करेगी |

च) कंपनी के साथ जुडे सभी लोगों के कल्याण, विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी |

छ) सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के साथ प्रभावी रुप से वित्तीय शिक्तयों का संतुलन बनाते हुए एक स्थायी उद्यम का निर्माण करेगी |

ज) बडे पैमाने पर समाज के अविकसित वर्गों की जीवन शैली को सुधारने के लिए गतिविधियों की शुरुआत करने में योगदान देगी ।

झ) जनता, ग्रह और लाभ के बीच अच्छे संबंध बनाकर विकास करेगी |

अध्याय 2

कार्यनीति

2.1 एनएफएल समुदाय के वास्तविक रुप से जरुरतमन्द, सामाजिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाएं प्रारंभ करेगा ।

2.2 कंपनी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगी िजससे समाज के किसी वर्ग के बीच असंतोष उत्पन्न हो, जैसे - धर्म से संबंधित - मंदिर का निर्माण, किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से किसी राशि का अंशदान, सामाजिक सदभाव को परेशान करने वाली गतिविधियां आदि ।

2.3 एनएफएल डीपीई दिशा-निर्देशों / सीएसआर नियमों / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सुव्यवस्थित व पद्धतिपूर्ण तरीके से सीएसआर गतिविधियां एवं परियोजनाएं प्रारंभ करेगी ।

अध्याय 3

संसाधन

3.0 वित्त पोषण एवं आवंटन :

एनएफएल सार्थक एवं स्थायी सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपनी वार्षिक सीएसआर कोष के रुप में निम्नानुसार आवंटन करने का प्रयास करेगा :

3.1 तीन तत्कालिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान हुए औसतन शुद्ध लाभ का 2 जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है ।

3.2 सीएसआर बजट कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थाई गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा ;

3.3 किसी विशेष वर्ष में खर्च न किये गये / उपयोग न किये गये सीएसआर आवंटन को अगले वर्ष के लिए आगे लाया जाएगा, यानि, सीएसआर बजट नॉन-लेपसेबल प्रकृति होगा ।

3.4 सीएसआर के नियमित स्टॉफ को एनएफएल द्वारा भुगतान किये जाने वाले वेतन की गणना सीएसआर व्यय के भाग के रुप में सीएसआर परियोजना लागत में की जाएगी जो अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञेय प्रतिशत सीमा तक प्रतिबंधित होगी । इसके लिए कंपनी के प्रत्येक यूनिट, आंचलिक कार्यालय एवं कारपोरेट कार्यालय में सीएसआर गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिसके वेतन की सीएसआर खर्चों में गणना की जाएगी ।

3.5 भारत सरकार / उर्वरक विभाग के निर्देशों के अनुसार, एनएफएल उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सामूहिक रुप से प्रारंभ किए गए सामान्य सीएसआर कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए, जैसा कि सलाह दी जाएगी, एक निश्चित मात्रा निर्धारित करेगा ।

अध्याय 4

कार्यान्वयन

4.1 एनएफएल के विभिन्न यूनिट एवं विपणन कार्यालयों द्वारा पहचान किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के परिभाषित दायरे के भीतर हर संभव सीएसआर कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगें ।

4.2 यह सुनिश्चित किया जाए कि एनएफएल संयंत्रों / विपणन प्रदेशों से जुड़े आस-पास के क्षेत्रों में काफी संख्या में कार्यक्रम निष्पादित किए जाएंगें ।

4.3 जहां संभव हो, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ नीति एवं कार्यनीति प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की सलाह से एवं गांव, ब्लाक एवं प्रचालनात्मक उद्येश्यों के लिए जिला स्तर पर जहां लागू हो, सीएसआर कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगें । इन गतिविधियों का राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा की गई पहल के साथ भी तालमेल बनाया जाएगा ।

4.4 सी एस आर परियोजनाओं की निम्नलिखित आधार पर पहचान की जाएगी :

क) कम्पनी, व्यवसायिक संस्थानों अथवा एजेन्सियों द्वारा पहचान करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता ।
ख) जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, नागरिक मंच आदि से अनुरोध / प्रस्ताव ।
ग) स्थानीय प्रतिनिधित्व/नागरिक निकायों/नागरिक मंच/स्वैच्छिक संगठनों, पंजीकृत ट्रस्टों अथवा समाज के साथ चर्चा एवं अनुरोध ।

4.5 दीर्घ अवधि कार्यक्रमों की पहचान करते समय, निम्नलिखित को परिभाषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगें :

क) कार्यक्रम का उद्येश्य
ख) बेसलाइन सर्वे - यह वह आधार होगा जिस पर कार्यक्रम के परिणामों का आंकलन किया जाएगा ।
ग) कार्यान्वयन अनुसूचियां - कार्यक्रम की समय सीमा
घ) उत्तरदायित्व एवं प्राधिकारी
ड) अपेक्षित मुख्य परिणाम एवं माप योग्य परिणाम

4.6 अनुमोदन के लिए प्रत्योजन

क) बोर्ड स्तर उप समिति अथवा सीएसआर उप समिति से नीचे स्तर की समिति यूनिटों / आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त परियोजनाओं / गतिविधियों का मूल्यांकन करेगी और अपनी सिफारिशें बोर्ड स्तरीय सीएसआर कमेटी को प्रस्तुत करेगी ।

ख) बोर्ड स्तर सीएसआर कमेटी वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की सीएसआर योजना को तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी जिसमें सीएसआर कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं कार्यकलापों पर होने वाला खर्च शामिल है । यह कमेटी सीएसआर उप समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और बोर्ड को इसके लिए सिफारिश करेगी ।

ग) निदेशक मंडल सीएसआर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर योजना पर विचार करेगी और अनुमोदित करेगी जैसा वह उचित समझेगें ।

घ) बोर्ड सीएसआर योजना के निष्पादन एवं कार्यान्वयन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा । इन प्रत्यायोजन में शामिल है - तत्काल एवं अति आवश्यक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली जरुरतों को पूरा करने के लिए शक्तियां ।

अध्याय 5

निष्पादन एजेन्सी

5.1 निष्पादन एजेन्सी / पार्टनर

एनएफएल कम्पनी के सीएसआर उद्येश्यों के अनुरुप कार्यान्वयन के लिए उचित कार्यक्रमों का पता लगाएगी और स्टेकहोल्डरों एवं समुदाय के हित में कार्य करेगी जिनके लिए इन कार्यक्रमों का इरादा बनाया हुआ है ।

ये कार्य निम्नलिखित के माध्यम से किए जाएंगें :

i) बैंक खाता एवं पेन नम्बर वाले समुदाय आधारित संगठन चाहे औपचारिक अथवा अनौपचारिक हो ।
ii) निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे - पंचायत
iii) समुदाय अधिनियम के अंतर्गत समाज के रुप में पंजीकृत स्वैच्छिक एजेन्सियां (एनजीओ)
iv) यूजीसी / केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान / शैक्षिक संगठन ।
v) समुदाय अधिनियम के अंतर्गत गैर-धार्मिक समुदाय, गैर-राजनीति के रुप में पंजीकृत ट्रस्ट, मिशन ।
vi) स्व-सहायता समूह का बैंक खाता एवं पेन नम्बर
vii) सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं स्वायत्त संगठन
viii) स्टैंडिंग कान्फ्रेन्स ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजज़ (स्कोप)
ix) सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त महिला मंडल / समितियां
x) सिविल कार्यों के लिए ठेका एजेन्सियां
xi) व्यवसायिक परामर्शी संगठनों जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन का अनुभव हो ।

5.2 निष्पादन एजेन्सियों का पता लगाने के लिए मापदण्ड

कार्यक्रमों का पता लगाते समय, संबंधित यूनिट / आंचलिक कार्यालय बाह्य एजेन्सी का भी पता लगाएगी जो कथित कार्यक्रम का निष्पादन करेगी । यदि कार्यक्रम एनजीओ / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निष्पादित किया जाता है तो निम्नलिखित न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित करने जरुरी होगें :

1- एनजीओ / एजेन्सी का भारत में स्थाई कार्यालय / पता ।

2- समुदाय पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत एनजीओ एक पंजीकृत समुदाय ।

3- वैद्य आयकर छूट प्रमाण-पत्र ।

4- एनजीओ/एजेन्सी के विवरण प्रमाणित करने योग्य हो / पुष्टिकरण के अध्याधीन ।

अध्याय 6

<u>महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तलाश</u>

सीएसआर गतिविधियां कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार पता लगाए गए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रारंभ की जाएंगी :

6.1 शैक्षिक प्रोत्साहन

i) बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम

ii) किसानों के लिए शिक्षा

iii) अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं अध्ययन

6.2 भूखमरी, गरीबी एवं कुपोषण उन्मूलन

i) आपदा प्रभावित क्षेत्रों को खाद्य एवं स्वच्छ जल की सप्लाई

6.3 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

6.4 व्यवसायिक निपुणता बढ़ाने के लिए रोजगार

i) अच्छे टिकाऊ कृषि प्रबंधन पद्धतियों सहित किसानों के लिए क्षमता निर्माण

ii) कौशल विकास के लिए कृषि श्रम प्रशिक्षण

iii) मृदा परीक्षण एवं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि भूमि दक्षता को बढ़ाना ।

6.5 स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना

i) विकलांग व्यक्तियों को सहायता एवं उपकरण देने हेतु प्रावधान

ii) आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करना ।

6.6 पीने के पानी की सुविधा

6.7 ग्रामीण विकास

i) महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालयों की सुविधा ।

ii) ग्रामीण भारत के विकास के लिए बनाई गई कोई परियोजना ।

6.8 गैर-परम्परागत उर्जा स्त्रोतों का प्रयोग

6.9 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण / पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना

i) अलग-अलग फसलों के लिए खेत अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु कृषि पारिस्थितिकी टिकाऊ खेत पद्धतियों एवं अधिकतम इष्टतम लागत का पता लगाना ।

ii) भू-संरक्षण की दृष्टि से उत्पाद लाइफ साइकिल विश्लेषण ।

iii) जल संरक्षण के लिए परियोजनाएं ।

iv) सिंचाई के लिए सुविधाएं प्रदान करना ।

6.10 प्रदूषण नियंत्रण

6.11 भारत सरकार के सप्लीमैण्ट विकास कार्यक्रम

6.12 आपदा राहत

6.13 पर्यावरणीय स्थाईकरण को सुनिश्चित करना

6.14 समुदाय पौधरोपण एवं बागवानी विकास को प्रोत्साहित करना ।

6.15 देश के किसी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे- भूकम्प, चक्रवात, सूखा एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत ।

6.16 सामाजिक आर्थिक विकास एवं राहत के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा फण्ड अथवा कोई अन्य फण्ड एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के कल्याण के लिए फण्ड में अंशदान ।

6.17 डीपीई दिशा-निर्देशों / कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई अन्य गतिविधियां ।

अध्याय 7

<u>मॉनिटरिंग एवं फीडबैक</u>

7.1 सीएसआर कमेटी सीएसआर पॉलिसी में दी गई सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति को आवधिक आधार पर मॉनिटर करेगी । कारपोरेट कार्यालय का सीएसआर विभाग स्वतंत्र पेशेवर थर्ड पार्टी / पेशेवर संस्थानों द्वारा विशेषकर सामरिक एवं अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आवधिक आधार पर गहन अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करेगा ।

7.2 प्रत्येक यूनिट / आंचलिक कार्यालय में प्रारंभ किए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यूनिट प्रमुख / आंचलिक प्रबंधक द्वारा निगरानी तंत्र बनाया जाएगा । यूनिट / जोन कार्यान्वयनाधीन सीएसआर कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में कारपोरेट कार्यालय को मासिक आधार पर रिपोर्ट करेगें ।

7.3 यदि कम्पनी द्वारा परियोजना अथवा कार्यक्रम सीधे ही कार्यान्वित किए जाते हैं, तो सीएसआर कार्मिक आवधिक स्थल निरीक्षण, प्रगति रिपोर्ट, ग्राउण्ड लेवल फीडबेक एवं अन्य उचित तरीकों के जरिए निगरानी करेगा ।

7.4 यदि परियोजना अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं तो प्रगति की निगरानी आवधिक प्रगति रिपोर्ट जिसके साथ सपोर्टिंग दस्तावेज लगे होगें जिनमें विभिन्न कार्यकलापों पर किए गए खर्च निहित होगें, के जरिए की जाएगी ।

7.5 यूनिट एवं आंचलिक कार्यालय कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से भी फीडबेक प्राप्त करने की कोशिश करेगा ।

7.6 एन एफ एल सीएसआर पॉलिसी के उपयुक्त दस्तावेजीकरण, वार्षिक सीएसआर गतिविधियां, एग्जीक्यूटिंग पार्टनर एवं व्यय व्यवस्था नियमित आधार पर की जाएगी और यह सार्वजनिक क्षेत्रों (Public domain) में उपलब्ध रहेगी ।

7.7 कम्पनी की सीएसआर पहल कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी दी जाएंगी ।

अध्याय 8

सामान्य

8.1 पॉलिसी के किसी प्रावधान के संबंध में यदि कोई संदेह हो और कोई मुद्दा शामिल न किया गया हो तो इसकी सूचना कारपोरेट कार्यालय में सीएसआर विभाग को दी जाए । ऐसे सभी मामलों में, महा प्रबंधक (मानव संसाधन) का निर्णय अन्तिम होगा ।

8.2 सीएसआर पॉलिसी के किन्ही अथवा सभी प्रावधानों में संशोधन / परिवर्तन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शनों के अनुसार किया जाएगा ।

8.3 कम्पनी इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन, रद्द, बढ़ाना अथवा परिवर्तन करने के अधिकार सुरक्षित रखती है ।